29

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 956198

ATTESTED

Mukesh ... Tripathi
Advocate
Mob.-9935523331

विक्रय मूल्य	–रू0	11,12,000/–
मालियत	–रू0	11,12,000/–
स्टाम्प	–रू0	78,000/–
परगना	– मोहनलालगंज	

विक्रय विलेख

विक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरणः–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम – मस्तेमऊ (वी–0115)

---------2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 25000 Rs. 25000
पच्चीस हजार रुपये TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. सम्पत्ति का विवरण–आराजी खसरा संख्या–670
5. मापन की इकाई –हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल–0.278 हेक्टअर
7. सड़क की स्थिति–(परिशिष्ट के अनुसार)
   – सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर।
8. अन्य विवरण (लिंक/खड़ण्जा/जनपदीय मार्ग इत्यादि)– नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
11. पेड़ों का मूल्यांकन – x
12. बोरिंग/कुआं/अन्य – x
13. निर्माण का वर्ष – x
14. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं
15. प्रतिफल की धनराशि 11,12,000/– रूपये

-------3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 670546

चौहद्दी

पूरब	:	भूमि खसरा सं0–669
पश्चिम	:	भूमि खसरा सं0–672, 673
उत्तर	:	भूमि खसरा सं0–674, 675
दक्षिण	:	भूमि खसरा सं0–671

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

सिद्धनाथ पुत्र महावीर निवासी–जेल रोड, बंगला बाजार, मदरूवा, लखनऊ, उ0प्र0।

क्रेता का विवरण

मेसर्स अमरावती इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, कार्यालय पता–498/143, गोपाल सदन, प्रथम तल, निकट–आई0टी0 चौराहा, फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा निदेशक रवि प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री निधि नरायन पाण्डेय।

-------4

सिद्धनाथ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मनकि सिद्धनाथ पुत्र महावीर निवासी–जेल रोड, बंगला बाजार, भदरूख, लखनऊ, उ0प्र0 (विक्रेता) का हूँ:–

जो कि विक्रेता अपनी भूमिधरी आराजी खसरा संख्या–670, रकबा 0.278 हेक्टेयर स्थित ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील– मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता ने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया था, जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हैं।

विदित हो कि विक्रेता अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, इसलिए विक्रेता ने उक्त भूमि क्रेता को विक्रय करने हेतु श्रीमान्

सिद्धनाथ

------5

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ द्वारा जारी आदेश संख्या–241/ डीएलआरसी/13 दिनांक 23.08.2013 के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर ली है।

उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, ऋण आदि से पूर्णतया बरी व पाक–साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। अब अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास

------6

सिद्धनाथ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 870564

में उपरोक्त वर्णित भूमि नम्बरी व पैमाइशी को बकीमती मुबलिग रूपया–11,12,000/– (ग्यारह लाख बारह हजार रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया–5,56,000/– (पाँच लाख छप्पन हजार रूपया मात्र) होते हैं, मैं बदस्त मेसर्स अमरावती इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, कार्यालय पता– 498/143, गोपाल सदन, प्रथम तल, निकट–आई0टी0 चौराहा, फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा निदेशक रवि प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री निधि नरायन पाण्डेय, (क्रेता) के पक्ष में विक्रय कर दिया यानि बेच

शिवप्रताप

-----7

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 870963

दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना विक्रेता ने अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उसके किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति

-----8

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

की दावेदारी या उज्रदारी या हक्दारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता को कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब आज की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है और न ही आबादी/आवासीय गतिविधियां विद्यमान हैं तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि कृषि भूमि है।

----- 10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES
रु.1000 Rs.1000
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रीत भूमि ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ के अर्द्धनगरीय क्षेत्र की है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल-**0.278 हेक्टेअर** है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा सरकारी मूल्य **रूपया 40,00,000/-** प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिग **रूपया 11,12,000/-** होती है, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश **संस्थागत**

वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–स.वि.क.नि.5–2756/ 11–2008–500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया 78,000/– का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिगृहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

लिहाजा यह बैनामा रूबरू गवाहान उभय पक्षों ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दवाव नाजायज के बदुरूस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से अपने–अपने हस्ताक्षर करके निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत पर काम आवे।

<u>विवरण भूमि बिक्रीशुदा</u>

भूमिधरी आराजी खसरा संख्या–670, रकबा 0.278 हेक्टेयर स्थित ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

<u>तफसील वसूलयाबी ज़रसमन</u>

1. रूपया–11,12,000/– जरिये चेक संख्या–231059 दिनांकित 10.09.2013 अदाता भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–बाबूगंज, लखनऊ।

----- 12

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया 11,12,000/- (ग्यारह लाख बारह हजार रुपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रीत आराजी से सम्बन्धित क्रेता से विक्रेता को पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 10.09.2013

ह0 विक्रेता

1. गवाह :

पता :

2. गवाह :

ह0 क्रेता

पता :

टाइपकर्ता

(सोनू बालाजी)
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(मुकेश मणि त्रिपाठी)
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

0–200 मीटर की त्रिज्या में मानचित्र

भूमिधरी आराजी खसरा संख्या–670, रकबा 0.278 हेक्टेयर स्थित ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील– मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

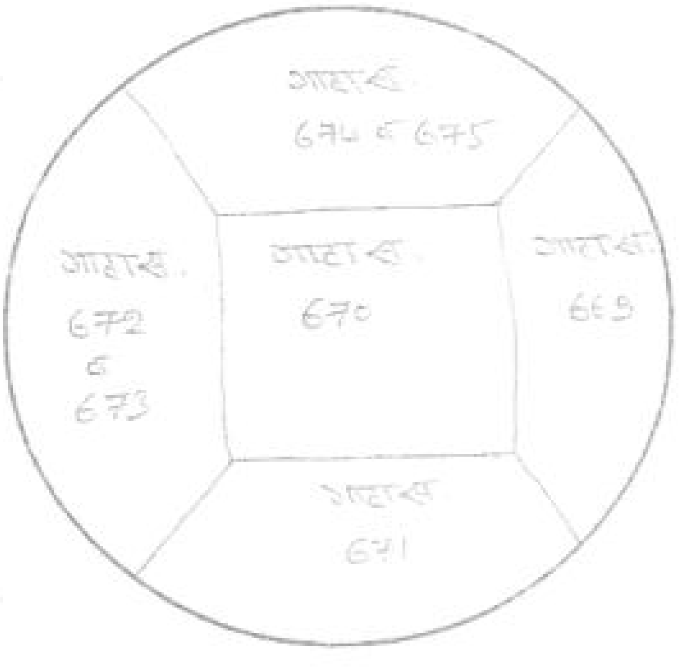

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

आज दिनांक 10/09/2013 को

बही सं 1 जिल्द सं 4046

पृष्ठ सं 1 से 26 पर क्रमांक 11796

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

10/9/2013